

18/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अथ इतिशियल्य जज	नया अहकाम की तारीख
15/07/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 22 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाड़ा प्रस्ताव के इन्तजार में विचाराधीन चल रहा है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य मौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढ़े। इस कारण स्थगन आदेश को यथावत जारी रखा जाना उचित प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्विष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते हैं।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.01.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो</p>	

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) तालीप